निर्णय बइजलास के. आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी देवगढ जिला राजसमन्द राज0

प्र0 सं0 51/2016 रे0 वाद

निर्णय दिनांक –23.04.2018

अनवान

1. श्रीमति पुष्पा पत्नि श्री डाउराम जी जाति नट आयु 45 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्री गोविन्द पुत्र श्री डाउराम जी जाति नट आयु 22 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
3. श्री मुकेश पिता डाउराम जी जाति नट आयु 20 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
4. श्री शंकर पिता श्री डाउराम जी जाति नट आयु 18 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
5. श्रीमति लीला पुत्री श्री डाउराम जी जाति नट आयु 25 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
6. श्रीमति ललिता पुत्री श्री डाउराम जी जाति नट आयु 18 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
7. नाबालिग पुत्री सुश्री अनु पुत्री डाउराम जी आयु 14 वर्ष जरीये संरक्षिका माता श्रीमति पुष्पा पत्नि श्री डाउराम जी जाति नट आयु 45 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमान राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार साहब तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्रीमति सीता पिता कालू जी नट पत्नि श्री मिश्रीलाल जी आयु 55 वर्ष निवासी कलालो की आंती तह0 देवगढ
3. श्रीमति लहरी पिता कालू जी नट पत्नि श्री बंशीलाल जी आयु 40 वर्ष निवासी बेमाली तह0 करेडा जिला भीलवाडा

–प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा – 88,89 रा0टि0 एक्ट</u>

वादी का वाद संक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम शक्करगढ पटवार सर्कल मियाला भु अभिलेख क्षेत्र देवगढ तह0 देवगढ के मे वादीगण की राजस्व

सहायक कलेक्टर

आराजियात खसरा नं0 489 रकबा 2 बिघा 12 विस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण के पति व पिता श्री कालु के नाम सन् 1976 मे 2 बिघा 12 विस्वा भूमि आवंटन हुई। आंवटन राज. लेण्ड रेवेन्यु रुल्स 97 की धारा 12 व 14 के तहत् दिनांक 7.08.77 को 5 बिघा भूमि अलॉट की गई जिसके मिसल नं. 204/76 थी। जिसका नियमानुसार फिस भी वादीगण के पति व पिता ने जमा कराया। लेकिन मौके पर वादीगण के पति व पिता श्री कालू जी का 2 बिघा 12 विस्वा भूमि पर ही कब्जा होने की वजह 2 बिघा 12 विस्वा भूमि पर ही आवटन किया गया। श्री कालुराम पिता चुनाराम जी नट का स्वर्गवास दिनांक 09.02.90 को हो चुका है एव श्री कालूराम जी के वारीसान हम वादीगण सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी स0 2 व 3 है वादग्रस्त आराजियात पर वक्त आवटन से ही हम वादीगण निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के अविरल कास्त कर रहे है। आवटन के समय श्री कालूराम जी को उक्त वादग्रस्त भूमि का कब्जा पटवार हल्का मियाला द्वारा विधीवत रूप से सुपुर्द किया गया एव उसका पर्चा मौका भी बनाया गया जिसकी जाच भी तत्कालिन पटवारी ने दिनांक 17.04.1977 को कर पुष्टि की एव पर्चा मोका याददाश्त दिनांक 09.04.77 को पटवार हल्का सांगावास द्वारा कब्जा श्री कालूराम जी नट को सुपुर्द किया गया वादग्रस्त आराजियात का अलग से नक्सा बना आराजी न0 1061/489 रकबा 2 बिघा 12 विस्वा भूमि दर्ज हुई प्रतिवादी सं0 2 व 3 का विवाह हो चुका है व प्रतिवादी स0 2 व 3 अपना हिस्सा ले चुकी है इसलिय प्रतिवादी स0 2 व 3 का उक्त भूमि पर कोई हक हकुक नही है। वादीगण के पति व पिता श्री कालू नट का स्वर्गवास हो चुका है इसलिये अब उक्त आराजियात पर वादीगण जिसमे वादी स0 1 जो श्री कालू जी की पत्नि है व वादी स0 2 जो श्री कालू जी का पुत्र है का कब्जा निहित है जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 एवं इससे पूर्व की जमाबन्दीयो मे उक्त आराजी नं. 489 बिलानाम कृषि आराजियात दर्ज रिकोड थी एव जब वादीगण के पति व पिता को आंवटन हुई तब भी उक्त भूमि बिलानाम कृषि आराजियात थी। एवं जब नामान्तकरण भरा गया तब भी उक्तभूमि बिलानाम कृषि आराजियात थी। उक्तभूमि बिना कब्जे की तस्दीक किये अवैद्य रूप से कालान्तर मे सन् 2008 मे राजकीय उपयोगार्थ भूमि आरक्षित कर दी गई जब कि वास्तव मे उक्त भूमि पर काबिज कास्त है एव वादीगण को वैद्य रूप से विधीवत उपखण्ड अधिकारी भीम के यहा पत्रावली चला प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त 2 बिघा 12 विस्वा भूमि आवटित हुई कब्जा सुपुर्द किया गया पट्टा जारी किया एव नक्सा बनाया गया एव तमाम कार्यवाही हुई एव भूलवश वादीगण के पति व पिता श्री कालू जी नट के नाम दर्ज रिकोर्ड होनें से रह गई। जिससे वादीगण उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी कास्तकार के रूप मे दर्ज कराने के रूप मे घोषणा के अधिकारी है। उक्त 2 बिघा 12 विस्वा भूमि पर वादीगण के पति व पिता करीब

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

30 वर्षो से कास्त कर रहे थे अब वादीगण उक्त भूमि पर कास्त कर रहे है वादीगण के पति व पिता के उक्त भूमि के विकास हेतु लाखो रुपये खर्च किये है वादीगण के पति व पिता का उक्त भूमि पर बाउण्डरी बन्दा बना हुआ है वादीगण के पति व पिता निरन्तर निर्बाध रुप से बिना किसी बाधा के अविरल अलॉटशुदा भूमि पर कास्त किया है एवं मात्र राजस्व रिकोर्ड की भुल के कारण उक्त भूमि वादीगण के पति व पिता के नाम दर्ज रिकोर्ड नही हुई जबकि वादीगण के पति व पिता वास्तव मे उक्त भूमि का मालिक कास्तकार है। प्रार्थी को नियमानुसार अलॉटमेन्ट हुआ वक्त अलॉटमेन्ट उक्त भूमि बिलानाम थी । वादीगण के पिता निरन्तर निर्बाध रुप से उक्त भूमि पर करीब 30 वर्षो से कास्त कर रहे थे अब वादीगण निरन्तर निर्बाध रुप से उक्त भूमि पर कास्त कर रहे है उक्तभूमि की खातेदारी घोषणा करा राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कराने का प्रार्थी अधिकारी है। उक्तभूमि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज नही होने से प्रार्थी को उक्त वाद न्यायालय आपमे बाबत् घोषणा का प्रस्तुत करना पड रहा है प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने वाद पत्र का जवाब ईकाली प्रस्तुत कर वादीगण के नाम भूमि दर्ज की जाने का समर्थन किया दौराने वाद वादी गण सं0 1 व 2 का स्वर्गवास हो गया एवं वारीसान श्रीमति पुष्पा पत्नि डाउराम, श्री गोविन्द पुत्र डाउराम, मुकेश पुत्र डाउराम शंकर पुत्र डाउराम, श्रीमति लीला पुत्री डाउराम , श्रीमति ललिता पुत्री डाउराम एव नाबालिग पुत्री सुश्री अनु पुत्री डाउराम जरीये संरक्षक माता पुष्पा देवी पत्नि डाउराम के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो रिकोर्ड मे लिये गये संसोधित वाद शिर्षक प्रस्तुत किया।

वाद पत्र का अवलोकन किया गया। दस्तावेज आवटन का अवलोकन किया गया। कालु द्वारा विधिवत पत्रावली उपखण्ड अधिकारी भीम के यहा आवटन की प्रस्तुत की गई। आराजी सं0 489 मे से 2 बीघा 12 विस्वा भूमि का आवटन पट्टा मिशल नं0 204/76 से जारी किया गया। कब्जा सुपुर्द किया गया। एवं उक्त भूमि से सम्बन्धित एक अन्य आवटन पत्रावली का निर्णय भी वादी ने प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया गया। वर्तमान मे वादीगण का कब्जा है। वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम शक्करगढ पटवार सर्कल मियाला भु अभिलेख क्षेत्र देवगढ तह0 देवगढ खसरा नं0 489 रकबा 2 बिघा 12 विस्वा भूमि जो वर्तमान मे दर्ज खसरा नं0 1061/489 रकबा 2 बिघा 12 विस्वा भूमि मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है उक्त भूमि मे वादीगण का नाम बतोर खातेदार अंकित किये जाने का आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर देवगढ
देवगढ, जिला-राजसमन्द

राजस्थान सरकार

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

बइजलास के. आर. चौहान (**R.A.S.**) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी देवगढ जिला राजसमन्द राज0

निर्णय दिनांक —23.04.2018

प्र0 सं0 51/2016 रे0 वाद

अनवान

1. श्रीमति पुष्पा पत्नि श्री डाउराम जी जाति नट आयु 45 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्री गोविन्द पुत्र श्री डाउराम जी जाति नट आयु 22 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
3. श्री मुकेश पिता डाउराम जी जाति नट आयु 20 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
4. श्री शंकर पिता श्री डाउराम जी जाति नट आयु 18 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
5. श्रीमति लीला पुत्री श्री डाउराम जी जाति नट आयु 25 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
6. श्रीमति ललिता पुत्री श्री डाउराम जी जाति नट आयु 18 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
7. नाबालिग पुत्री सुश्री अनु पुत्री डाउराम जी आयु 14 वर्ष जरीये संरक्षिका माता श्रीमति पुष्पा पत्नि श्री डाउराम जी जाति नट आयु 45 वर्ष निवासी खेडा मियाला आसन तह0 देवगढ जिला राजसमन्द

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमान राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार साहब तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्रीमति सीता पिता कालू जी नट पत्नि श्री मिश्रीलाल जी आयु 55 वर्ष निवासी कलालो की आंती तह0 देवगढ
3. श्रीमति लहरी पिता कालू जी नट पत्नि श्री बंशीलाल जी आयु 40 वर्ष निवासी बेमाली तह0 करेडा जिला भीलवाडा

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा — 88,89 रा0टि0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू ....मिनजानिब मुद्धयलह पेश हो वादी का वाद पत्र इस प्रकार निरस्त किया जाता है ग्राम शक्करगढ पटवार सर्कल मियाला भु अभिलेख

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला-राजसमन्द

क्षेत्र देवगढ तह0 देवगढ खसरा नं0 489 रकबा 2 बिघा 12 विस्वा भूमि जो वर्तमान मे दर्ज खसरा नं0 1061/489 रकबा 2 बिघा 12 विस्वा भूमि मे वादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

चबसख्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज तारिख 23.04. 2018 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला राजसमन्द

मुदई	रूपया	पैसा	मुदायला	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबुत	0	00	महनताना वकील	0	00
महनताना वकील	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	फीस कमिश्नर	0	00
फीस कमिश्नर	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	12	00			
मिजान	17	00	मिजान	00	00

नोट– इस खर्चे के फारम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का डिकी के जरीये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला राजसमन्द